XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
02.09.2011	**न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ** **वासगीत पर्चा वाद संख्या–107/2007** **धारा–21 B.P.P.H.T. Act अन्तर्गत** सत्येन्द्र यादव, पिता–भुवनेश्वर प्रसाद यादव, साकिन–धोरधट, थाना–मुफस्सिल, जिला–पूर्णियाँ..... आवेदक **बनाम्** उपेन्द्र दास, पिता–स्व0 कोकाय दास, साकिन–धोरधट, थाना–मुफस्सिल, जिला–पूर्णियाँ..... ..... विपक्षी **आ दे श** आवेदक अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व द्वारा वासगीत पर्चा अभिलेख संख्या–1/2007–08 में दिनांक 10.08.2007 को पारित आदेश को रद्द करने हेतु यह वाद प्रारम्भ किया है। मौजा–धनगामा, थाना नं0–77, खाता संख्या–139, खेसरा संख्या–899, रकवा–5 डिसमिल जमीन आवेदक का है और आवेदक उक्त जमीन का दखलकार भी है। अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व द्वारा विपक्षी के नाम खाता संख्या–103, खेसरा संख्या–899 रकवा–5 डिसमिल जमीन का पर्चा निर्गत किया गया है। आवेदक को पर्चा में अंकित खाता संख्या–103 से कोई संबंध नहीं है। आवेदक का कथन है कि विपक्षी के साथ आवेदक का कोई संबंध भी नहीं है। विपक्षी को निर्गत पर्चा में अंकित खेसरा संख्या–899, खाता संख्या–103 में नहीं है। खेसरा संख्या–899, खाता संख्या–139 का हिस्सा है, जो आवेदक का है। विपक्षी को रहने के लिये अपना घर है, जो इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत खाता संख्या–176, खेसरा संख्या–894/1076 के मौजा–धनगामा में बना हुआ है। विपक्षी न्यायालय को गुमराह कर गलत ढ़ंग से पर्चा प्राप्त किया है। आवेदक निवेदन करता है कि निम्न न्यायालय को अभिलेख का अवलोकन कर एवं आवेदक के पक्ष को सुनकर विधि सम्मत आदेश पारित करने की कृपा की जाय। विपक्षी की ओर से कोई आवेदन प्राप्त नहीं है। पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 28.03.2011 को सुनवाई के समय आवेदक हाजरी देने के बाबजूद भी अनुपस्थित थे। इसी तरह पूर्व में भी वे लगातार हाजरी देने के बाबजूद भी पुकार पर अनुपस्थित रहे। इस कारण से दिनांक 14.03.2011 को उन्हें अंतिम मौका देते हुए निश्चित रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया गया। परन्तु न्यायालय का आदेश का अनुपालन आवेदक के द्वारा नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि इस वाद के निष्पादन में आवेदक का कोई रूचि नहीं है। विपक्षी भी बहुत दिनों से उपस्थित नहीं हो रहे है। इस परिस्थिति में इस वाद को आगे संचालित करने की कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। ऐसा भी समझा जाता है कि आवेदक अपने आवेदन में वर्णित बातों के पक्ष में न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य देने में असमर्थ है। पुनः दिनांक 02.09.2011 को सुनवाई हेतु रखा गया।	

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में संलग्न सभी कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है एवं इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस निर्णय के साथ आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है एवं वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ